HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 914/2024

Kusumlata Verma W/o Suraj Kumar Verma, Aged About 46 Years, R/o P. No. B-34, Indira Nagar, Jhunjhunu (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. Sh. Vasudev Devnani, Vidhansabha Adhyaksh, Rajasthan Vidhansaba, Janpath, Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan
2. Sh. Bharat Bhushan Sharma, Special Secretary, Rajasthan Vidhansaba, Janpath, Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajiv Surana, Sr. Adv. Mr. Umang Jain Ms. Muskan Verma
For Respondent(s)	:	Mr. R. N. Mathur, Sr. Adv. with Mr. Prateek Mathur Mr. Abhishek Mewara Mr. Utkarsh Dubey

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

26/02/2026

1. याचिकाकर्ता द्वारा उक्त अवमानना याचिका अयाचीगण के विरुद्ध इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14359/2021 में दिनांक 04.10.2023 को यह आदेश पारित किया गया था कि याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मी के रूप में नियुक्त करें तथा बिना किसी विलंब के उसे सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाएं।

2. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के पद संख्या 5 में यह तथ्य वर्णित किया गया है कि याचिकाकर्ता को यद्यपि सेवा में बहाल कर दिया गया है, परंतु याचिकाकर्ता को जो वेतन कमल कुमार वर्मा जिसकी नियुक्ति भी वर्ष 2012 में की गई थी वह प्रदत्त नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता को मात्र 11,435/– रुपये का वेतन मिल रहा है, जबकि समान रूप से कार्यरत कमल

कुमार वर्मा को 44,150/– रुपये की राशि प्राप्त हो रही है और इस प्रकार प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना की गई है और याचिकाकर्ता को उसके लाभों से वंचित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण आदेश की पालना करें और पालना नहीं करने की स्थिति में उचित दंड से दंडित किया जाए।

3. इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से आक्षेपित चुनौतीकृत आदेश दिनांक 18.06.2012 को अपास्त करते हुए याचिकाकर्ता के संदर्भ में उसकी नियुक्ति के आदेश दिनांक 27.02.2012 को पुर्नजीवित किया गया था और प्रत्यर्थीगण को यह निर्देशित किया गया था कि वह याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मी के रूप में नियुक्त करें और उसे सभी प्रकार के पारिणामिक लाभ प्रदत्त करें।

4. उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 16.02.2026 को आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मी के पद पर दिनांक 27.02.2012 से सेवा में बहाल करते हुए नोशलन वेतन दिनांक 27.02.2012 से निर्धारित किया गया है और इस संदर्भ में याचिकाकर्ता को दिनांक 01.07.2025 से पे–मैट्रिक्स के लेवल एल–3 में नोशनल वेतन राशि 27,600 रुपये आगामी तिथि दिनांक 01.07.2026 तक नियत की गई है तथा याचिकाकर्ता को उक्त वेतन निर्धारित का नकद लाभ उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि 04.04.2024 से तय होने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना कर दी गई है और किसी भी तरीके की अवमानना न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2023 की नहीं हुई है। उनका यह भी तर्क है कि उक्त सिविल रिट पिटीशन नं. 4397/2015 संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.10.2023 से कदाचित यह आदेश नहीं दिया गया था कि पारिणामिक लाभ के अंतर्गत याचिकाकर्ता को अन्य नियुक्त कर्मचारियों के ऊपर वरिष्ठता प्रदत्त की जाये व उन्हीं के समान वेतन प्रदान किया जाये। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत जे.एस.

परिहार बनाम गनपत दुग्गर अन्य एस.सी.सी. पृष्ठ संख्या 291, पैरा–6 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि संबंधित अवमानना याचिका के अंतर्गत संबंधित न्यायालय को उक्त आदेश सही है गलत है, देखने का अधिकार नहीं है। कन्टेम्पट न्यायालय को मात्र यह देखना होता कि क्या उक्त आदेश की जानबूझकर अबहेलना तो नहीं की गई है।

5. उक्त प्रकरण में यह प्रश्न निहित था की क्या अवमानना याचिका के अंतर्गत सीनियरटी लिस्ट व पदोन्नति से संदर्भित तथ्यों को विवेचित किया जा सकता है की नहीं। उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है कि यदि सरकार द्वारा निर्देशों के अनुसार आदेश पारित कर दिया जाता है और उक्त आदेश से कोई पक्षकार व्यथित है तो वह नवीन वाद कारण उत्पन्न करता है तथा ऐसा पक्षकार सक्षम मंच के समक्ष उपचार प्राप्ति हेतु याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

6. प्रर्त्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 16.02.2026 पारित किये जाने से यह स्पष्ट है, कि प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की पूर्ण पालना कर दी गई है, अतः उक्त अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए उक्त अवमानना के संदर्भ में दिये गये नोटिस से प्रत्यर्थीगण को उन्मोचिम किया जाए।

7. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. यह सुस्थापित विधि है कि अवमानना याचिका के अंतर्गत न्यायालय मात्र उक्त निर्देशों तक ही सीमित है जो निर्देश संबंधित न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं। न्यायालय को यह शक्तियां प्राप्त नहीं हैं कि वह नये सिरे से उक्त आदेश के संदर्भ में कोई व्याख्या करें और अपना कोई अलग से मत प्रतिपादित करें। यह भी सुस्थापित विधि है कि किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश यदि स्पष्ट हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपना कोई मत प्रकट नहीं कर सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में याचिकाकर्ता के संदर्भ में पैरा 19 के द्वारा आक्षेपित आदेश में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है–

Accordingly, the impugned order dated 18.06.2012 stands quashed and set aside and the appointment order dated 27.02.2012 is restored. The

respondents are directed to appoint the petitioner Kusumlat on the post of Class IV employee forthwith without any further delay and grant her all consequential benefits.

9. इसी परीप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थीगण द्वारा 16.02.2026 को आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता को दिनांक 27.02.2012 से सेवा में बहाल मानते हुए पुनः नियुक्ति प्रदान की गई है और दिनांक 27.02.2012 से समस्त नोशनल लाभ प्रदत्त करते हुए उसके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि 04.04.2024 से वास्तविक वेतन लाभ आगामी वेतन वृद्धि के साथ प्रदत्त कर दिया गया है।

10. इस परीप्रेक्ष्य में न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को देखा जाए तो न्यायालय के यह कदाचित निर्देश नहीं थे कि याची की सेवा को बहाल करने के उपरांत उसे पारिणामिक लाभ के रूप में वास्तविक लाभ वर्ष 27.02.2012 से उसके ड्यूटी जॉईन करने तक प्रदत्त किया जाए। उक्त निर्णय में इस प्रकार का भी कोई विवेचन नहीं था कि याचिकाकर्ता अन्य समकक्ष कर्मी कमल कुमार के समान, वर्ष 2012 से वहीं वेतन प्राप्त करेगा जो कमल कुमार प्राप्त कर रहा है। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से न्यायालय के निर्देश की स्पष्ट पालना कर दी गई है।

11. यदि याचिकाकर्ता उक्त आदेश से व्यथित है तो वह इस संदर्भ में सक्षम मंच के समक्ष अपनी व्यथा के संदर्भ में कार्यवाही करने को स्वतंत्र है। उपरोक्त अनुसार इसी प्रकरण में अयाचीगण के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है।

12. अतः उक्त अवमानना याचिका खारिज की जाती है।

13. नोटिस उन्मोचित किए जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /91